न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 23/2025

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
नेनाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी माधाणियों की ढाणी, तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खींवसर जिला नागौर। 2 उमाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी माधाणियों की ढाणी, तहसील खींवसर जिला नागौर। 3 लिखमाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी माधाणियों की ढाणी तहसील खींवसर जिला नागौर। 4 धन्नाराम पुत्र पेमाराम जात जाट निवासी माधाणियों की ढाणी तहसील खींवसर जिला नागौर। 5 सांवताराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ग्राम माधानियों की ढाणी, पिललिया तहसील खींवसर जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री प्रेमसुख काला अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 की ओर से।
4. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 25.11.2025

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 31/2024 सरकार बनाम नैनाराम में निर्णय दिनांक 03.03.2025 से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.03.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 17.03.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 की ओर से श्री प्रेमसुख काला अधिवक्ता तथा रेस्पोडेंट संख्या 05 की ओर से श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली 31/24 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– आदेश जैर अपील दिनांक 03.03.2025 न्याय के सिद्वांतों के विपरीत एवं पडौसी खेत के खातेदार रेस्पोडेंट संख्या 4 धन्नाराम के खेत की तारबंदी होते हुए अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के विरूद्व जानबूझ कर झूठी अतिक्रमण रिपोर्ट मौके पर खसरा नम्बर 2344 का भूमाप किये बिना पेश की गई व तहसीलदार खींवसर के समक्ष गैर सायल/अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 2344 का भूमाप कर अतिक्रमण का सीमाज्ञान करवाने के आवेदन पर सीमाज्ञान हेतु तीन कर्मचारियों की टीम गठित करने के बावजूद भी रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही आदेश/निर्णय जैर अपील पारित करने मे विधिक त्रुटि की है जिससे आदेश/निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– ग्राम पांचलासिद्वा गत भूप्रबंध के समय का राजस्व ग्राम है ग्राम पंचला से ग्राम कुडछी जाने का कटाणी रास्ता साबिका नक्शा मे खसरा नम्बर 1126 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा मौके के अनुसार रास्ता के स्थान पर ही दर्ज था मगर वर्तमान भूप्रबंध के समय राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 1126 के नये खसरा नम्बर 2344 कायम किये व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व नक्शा मे अंकन करते समय खसरा नम्बर 2344 को पुराने खसरा नम्बर 1126 के स्थान पर अंकन नहीं कर करीब 2 गट्टा दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम तक खिसका दिया। दोनों नक्शों के मिलान करने से यह स्थिति अपीलांट व उसके पिता

25/11/25

अपर कलक्टर, नागौर

रेस्पोडेंट संख्या 4 को हाल ही में जानकारी हुई तब अपीलांट ने तहसीलदार खींवसर के समक्ष दिनांक 10.02.2025 को आवेदन पेश कर पुराने नक्शा के अनुसार नये नक्शा में अंकन नहीं होने की त्रुटि बाबत तथ्य दर्ज करते हुए पेमाईश रिपोर्ट मंबाने का आवेदन पेश किया मगर तहसीलदार खींवसर ने पहले ही खसरा नम्बर 2344 के सीमाज्ञान हेतु आदेश दिनांक 24.12.24 को कर रखा था, तत्पश्चात एकाएक बिना भूमाप रिपोर्ट के आदेश जैर अपील त्रुटिपूर्वक पारित कर दिया जिससे आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करने के पश्चात गैर सायल को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया न ही स्वयं तहसीलदार ने पुराने रास्ता पर सडक निर्माण बार बार राज्य सरकार के खर्चे से किया हुआ होने व सडक चालू हालत में होने का मौका निरीक्षण किये बिना ही निर्णय करने मे त्रुटि की है। इतना ही नहीं गेर सायल के आवेदन पर खसरा नम्बर 2344 की दोनो सीमाओं का भूमाप कर सीमाज्ञान करवाने का आदेश पत्रावली पर करते हुए सीमाज्ञान रिपोर्ट का इंतजार किये बिना ही व पटवारी के बयान लिये बिना ही एकाएक आदेश बेदखल बाबत करने में त्रुटि की है।

{2}(IV)–मौके पर खसरा नम्बर 2344 के पडौसी खातेदार रेस्पोडेंट संख्या 4 धन्नाराम है व तारबंदी धन्नाराम के खातेदारी के खेत में ही की हुई है ऐसी स्थिति में अतिक्रमी धन्नाराम के बजाय उनके पुत्रों को दुर्भावना से दर्ज कर उक्त प्रकरण दुर्भावनापूर्वक बनाया है धन्नाराम के खेत की तारबंदी को हटाये जाने का आदेश, धन्नाराम को नोटिस दिये बिना त्रुटिपूर्वक पारित किया है।

{2}(V)– अपीलांट के पिता रेस्पोडेंट संख्या 4 धन्नाराम की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 2680/3116, 3731/2680 व खसरा नम्बर 3130/2680 को अतिक्रमण रिपोर्ट गलत स्थान पर दर्शाया है व खसरा नम्बर 2344 में 0.3200 हैक्टयर अतिक्रमण मिथ्या दर्ज किया है।

{2}(VI)–पटवारी हल्का महेन्द्र कुमार मीणा करीब 2 वर्ष से ग्राम माधाणियों की ढाणी में नियुक्त है अपीलांट ने अकाल राहत के समय उक्त महेन्द्र कुमार मीणा द्वारा काश्तकारों से मुआवजा के 32–32 हजार रूपये दिलाये जाने के पेटे 3–3 हजार रूपये रिश्वत के लिये थे, जिसकी शिकायत प्रार्थी/अपीलांट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मे की व उक्त शिकायत की जांच के दौरान महेन्द्र कुमार मीणा ने गांव वालो का रूपयों की वापसी करते हुए नौकरी बचाने की गुहार की जिससे गांव वालों ने शिकयत में पैरवी नहीं की, जिससे महेन्द्र कुमार मीणा अपीलांट से अदावत रखने लग गया और रास्ते के उतरी तरफ के खातेदार सांवताराम व तुलछी से मिलकर झुठी कार्यवाही की है। इस कारण आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–मौके पर रास्ता बन्द नहीं है न ही रास्ता पर किसी प्राकर का अपीलांट का अतिक्रमण है इन्टरनेट सेटेलाईट नक्शा से भी रास्ता खुला व सडक चालू स्थिति मे होना साफ जाहिर होते हुए भी व बिना किसी अतिक्रमण के यह झुठा प्रकरण बनाया है और अपीलांट के आवेदन पर नये पुराने नक्शा अनुसर तुलनात्मक भूमाप करवाये बिना अपीलांट के पिता को नोटिस दिये बिना ही, खातेदारी के खेत व खसरा से बेदखल करने पर आमादा है इस कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश बेदखल खारिज कर पराने राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर भू माप करवाया जाकर नये सिरे से निर्णय करने हेतु उचित आदेश/निर्देश दिया जाना न्यायोचित है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा माधाणियों की ढाणी में स्थित गै. मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– रेस्पोडेंट संख्या 05 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि सरकारी कटाणी रास्ता ख. न. 2344 रकबा 0.3200 हैक्टयर गै. मु. रास्ता पर अपीलांट का अवैध अतिक्रमण कर रखा है जिस अवैध अतिक्रमण की वजह से ग्रामीणों को आवागमन में भारी बाधा उत्पन्न हो रही थी और रास्ते के अभाव में किसानों को खातेदारी के खेताय में आना जाना भी असंभव हो गया था। तब रेस्पोडेंट संख्या 05 ने उक्त रास्ते से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सक्षम अधिकारियों के समक्ष लिखित में आवेदन पत्र पेश किया गया था, जिस आवेदन पत्र पर जांच की गई। बाद जांच अपीलांट का अवैघ अतिक्रमण होने से अपीलांट के खिलाफ विधिवत रूप से धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई और मौके से कटाणी रास्ते से अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है जिस आदेश के खिलाफ अपीलांट ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर बनावटी व झूठे तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है। अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{5}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 31/2024 सरकार बनाम नैनाराम में निर्णय दिनांक 03.03.2025 के तहत मौजा माधाणियों की ढाणी की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके माधाणियों की ढाणी के खसरा नंबर 2344 रकबा 0.3200 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{6}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर